

# अनुबंध –2 (निदेशक की रिपोर्ट)

प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

वर्ष 2021–22 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

# 1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखाः

निगम की सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) अपने हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से काम करने की कंपनी की प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता वैधानिक आवश्यकताओं से परे है। इसलिए, सीएसआर सतत विकास के अभ्यास से निकटता से जुड़ा हुआ है, सीएसआर परोपकारी गतिविधियों से परे है और सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों के एकीकरण तक पहुंचता है। इन गतिविधियों को उन गतिविधियों के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है जो दीर्घाविध में स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ को सुरक्षित करने में मदद करेंगी। कंपनी वर्ष 2007 से सीएसआर गतिविधियां कर रही है।

कंपनी की सीएसआर नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

- पीडीआईएलसीएसआर को व्यवसाय चलाने के एक तरीके के रूप में मान्यता देता है जो नैतिक प्रणालियों और स्थायी प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और एकीकरण के माध्यम से अपने हितधारकों की बेहतरी के लिए धन निर्माण और वितरणमें सक्षमता प्रदान करता है।
- सीएसआर और सतत गतिविधियों को लागू करते समय, पीडीआईएल विविध व्यवसाय संचालन और गतिविधियों में लगे सभी कर्मचारियों, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के स्तर की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है।
- पीडीआईएल हमारे व्यापार संचालन के पूरे जीवन चक्र में पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक
   राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबंधन और शमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से जैव विविधता, संवेदनशील पर्यावरण, भूमि उपयोग और साइट सुधार के प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है।
- पीडीआईएल मौलिक मानवाधिकारों के साथ—साथ स्वदेशी मेजबान संस्कृतियों और उनके संचालन वाले क्षेत्रों में उनकी विरासत के पारंपरिक अधिकारों को बनाए रखने और बढ़ावा देने का प्रयास करना जारी रखेगा ताकि पीडीआईएल जैसे संगठन को अपने पड़ोसियों के रूप में रखने पर समाज को गर्व महसूस हो।

# ANNEXURE -2 (To the Director's Report)

Projects & Development India Limited

# THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR THE YEAR 2021-22

## 1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

Corporate Social Responsibility (CSR) is a Company's commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interest of its stakeholders. This commitment is beyond statutory requirements. CSR is, therefore, closely linked with the practice of sustainable development, CSR extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals. These activities need to be seen as those which would, in the long term, help secure a sustainable competitive advantage. The company is undertaking CSR activities since the year 2007.

The CSR Policy of company is based on following principles:

- PDIL recognizes CSR as a way of conducting business which enables the creation and distribution of wealth for the betterment of its stakeholders, through the implementation and integration of ethical systems and sustainable management practices.
- While implementing CSR & Sustainable activities, PDIL is committed towards the active involvement of all employees, Top to Bottom and Bottom to Top, engaged in diverse business operations and activities.
- PDIL is committed towards the management of biodiversity, sensitive environment, land use and site remediation through the implementation of appropriate management and mitigation programmes to ensure environmental protection, economic and socio-political sustainability throughout the life cycle of our business operation.
- PDIL shall continue to strive to uphold and promote fundamental human rights, as well as the traditional rights of indigenous host cultures and their heritage in areas where it operates so that the society feels proud to have an organization like PDIL as their neighbours.



पीडीआईएल एक जिम्मेदार निगम इकाई के रूप में हमारी सीएसआर और स्थिरता गतिविधि को बढाने के लिए निरंतर प्रयास करेगाऔर वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

#### सीएसआर समिति की संरचनाः 2.

25 नवंबर, 2021 को समिति का पुनर्गठन किया गया और सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है:

1. सीएमडी, पीडीआईएल	अध्यक्ष
2. डीएफ, पीडीआईएल	सदस्य
3. गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
4. श्री. उज्ज्वल कुमार	सदस्य
सरकार नामित निदेशक	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की एक बार बैठक 25 फरवरी, 2022 को हुई। उक्त बैठक की उपस्थिति का विवरण:

PDIL shall review, annually report and continuously strive to enhance our CSR & sustainability activity as a responsible corporate entity.

#### 2. Composition of CSR Committee:

The committee was reconstituted on November 25, 2021 and the composition of CSR committee is as follows:

1.	CMD, PDIL	Chairperson
2.	DF, PDIL	Member
3.	Non official Director	Member
4.	Shri. Ujjwal Kumar	Member
	Government Nominee Directo	or

During the FY 2021-22, the Committee met one-time on February 25, 2022. The attendance details of the said meeting:

क्र सं S. No.	निदेशक का नाम Name of Director	पद / निदेशक पद की प्रकृति Designation / Nature of Directorship	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर कमेटी की बैठकों की संख्या Number of meetings of CSR Committee held during the year	वर्ष के दौरान सीएसआर की बैठकों में भागीदारी की संख्या Number of meetings of CSR Committee attended during the year		
1.	सुश्री अपर्णा एस शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1		
	Ms Aparna S Sharma	Chairperson & Managing Director				
2.	सुश्री नजहत जे. शेख	निदेशक (वित्त)	1	1		
	Ms Nazhat J. Shaikh	Director (F)				
3.	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह	स्वतंत्र निदेशक	1	1		
	Lt General Vishwambhar Singh	Independent Director				
4.	श्री उज्ज्वल कुमार	निदेशक (सरकार नामित)	1	1		
	Sh Ujjwal Kumar	Director (Govt.				
		Nominee)				

- 3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की 3. Provide the web-link where composition संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट http://www-pdilin-com/pdf/csr\_sustainability policy-pdf पर प्रकट किया जाता है। (सीएसआर नीति)
  - of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company. http://www.pdilin.com/pdf/csr sustainability policy.pdf (CSR Policy)



- 4. सीएसआर के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें 4. Provide the details of Impact assessment of CSR कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में की गई परियोजनाएं, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)
  - इस वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान शुरू की गई सीएसआर गतिविधियों में से कोई भी ₹1 करोड़ या उससे अधिक नहीं थी, जिसके लिए प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- 5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 5. 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो. का विवरण
- projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report)
  - Not applicable for this financial year. Further, none of the CSR activities taken up during FY 2021-22 were ₹1 crore or above for which impact assessment is required.
- Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

₹ लाख में Amount in ₹

क्र सं S. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year							
1	2018-19	शून्य NIL	शून्य NIL					
2	2019-20	शून्य NIL	शून्य NIL					
3	2020-21	2737	शून्य NIL					
	कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL					

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का	₹ 3741.23	6. Average net profit of the company as per section 135(5)	₹ 3741.23
औसत शुद्ध लाभ	लाख		Lakhs
7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के	₹ 74.82	7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	₹ 74.82
औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	লাख		Lakhs
(बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य	(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.	Nil
(सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो	शून्य	(c) Amount required to be set off for the financial year, if any	Nil
(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर	₹ 74.82	(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).	₹ 74.82
दायित्व (७ए+७बी—७सी)	লাख		Lakhs



- 8. (ए) वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए खर्च या खर्च न की गई सीएसआर राशि
- 8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year 2021-22:

राशि (₹ लाख में) Amount (₹ in Lakhs)

(रुपये में) Total Amount Spent for the	स्थानांतरित कु Total Amoun	ल राशि t transferred				
Financial Year 2021-22	The state of the s	SR account as		le VII as per se	econd proviso	
(in ₹)	per Section 13	35(6)	to section 135	(5)		
	Amount	Date of	Name of	Amount	Date of	
		Transfer	Fund		transfer	
शून्य	74.82*	25.04.2022	पी एम केयर	40.65	23.09.2022	
NIL			फंड			
			PM Care			
			Fund			
कुल Total	74.82			40.65		

अव्ययित सी एस आर खाते में चल रही परियोजनाओं के लिए ₹40.65 लाख की अव्ययित राशि को 23 सितंबर, 2022 को पी एम केयर फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था

- (बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः
  - अनुलग्नक 3 के रूप में ₹ 74.82 लाख विवरण संलग्न हैं
- (सी) वित्तीय वर्ष के लिए अन्य चालू परियोजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः
- \* Unspent amount against ongoing projects in Unspent CSR Account amounting to ₹ 40.65 Lakhs was transferred to PMCARES fund on September 23, 2022
- (b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:
  - ₹ 74.82 Lakhs details attached as Annexure 3
- c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
क्र सं S. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम। Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं) Local area (Yes/ No)	परियोजना का स्थान Location of the project.		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख में) Amount spent for the project (₹ in Lakhs)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन का तरीका (हां / नहीं). Mode of Implem- entation Direct (Yes/ No).	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका Mode of Implem- entation Through Implementing Agency
				राज्य State	जिला District			
-	n <del>-</del>	-	-	15	VIA	शून्य Nil	-	-
				-		-		



(डी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य (d) Amount spent in Administrative Overheads : Nil (ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : Nil

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) : ₹ 74.82 लाख (f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e) : ₹ 74.82 Lakhs

(जी) अलग करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

(g) Excess amount for set off, if any

क्र सं Sl. No.	ब्योरा Particular	राशि (₹ लाख में) Amount (₹ in Lakhs)
(i)	धारा 135(5)के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	74.82
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	74.82
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	0.00
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	0.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	0.00
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से	0.00
(iv)	उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.00
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	0.00

- 9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:
- 9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

क्र सं Sl. No.	पिछले वित्तीय वर्ष के Preceding financial year	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई राशि Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6)	अलोच्य वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹).	घारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो तो Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.	आने वाले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में) Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in ₹)
1.	2018-19				
2.	2019-20			शृन्य NIL	
3.	2020-21				
	कुल Total			शून्य NIL	

- (बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य
- (b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s): **NIL**





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र सं SI. No.	परियोजना आई डी Project ID	परियोजना का नाम Name of the Project	वित्तीय वर्ष जिसमे परियोजना प्रारंभ हुई थी Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित कुल रकम Total amount allocated for the project	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि Amount spent on the project in the reporting Financial Year	वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी है Status of the project - Comple-ted/ Ongoing
I.					शून्य			
1					NIL			

10. पुंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति—वार विवरण)

NIL

शून्य

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details)

(ए) पुंजीगत संपत्ति (यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। (a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

शन्य NIL

(बी) पंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।

शन्य NIL

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

शून्य

(सी) संस्था, लोक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।

NIL

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

शून्य

(डी) सुजित या अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।

NIL

- (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).
- 11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, कारण बताएं

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5)

मौजुदा कोविड—19 महामारी के कारण सीएसआर गतिविधियां पूरी नहीं की जा सकीं। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित राशि को खाते में स्थानांतरित कर दिया गया

CSR Activities could not be completed due to ongoing COVID-19 pandemic. However, unspent amount transferred to account in accordance to Section 135(6) of the Companies Act, 2013

अनीता सी मेश्राम अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 09781436)

ह/-नजहत जे. शेख निदेशक (वित्त) (डीआईएन: 07348075)

sd/-Aneeta C Meshram Chairperson & Managing Director (DIN: 09781436)

ह/−

Nazhat J. Saikh Director (Finance) (DIN: 07348075)

sd/-

स्थानः नोएडा Place: Noida तिथि: 29.12.2022 Date: 29.12.2022



# अनुबंध —3 (निदेशक की रिपोर्ट)

ANNEXURE 3 (To the Diretor's Report)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year 2021-22:

(1)	(2)	(3)	(4)	(:	-	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
क्र सं . Sl. No.	परियोजना का नाम Name of the Project	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)। Local area (Yes/ No).	परियोज स्थ Locatio proj	ान n of the	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आयंटित राशि (₹ लाख में) Amount allocated for the project (₹ in Lakhs)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाख में) Amount spent in the current financial Year (₹ in Lakhs)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अध्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (हे लाख में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (ह in Lakhs)	कार्यान्वयन का तरीका — प्रत्यक्ष (हां/ नहीं) Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	कार्या Mode	न्ययन का तरीका - न्ययन एजेंसी के नाध्यम से of Implementation ugh Implementing Agency
				राज्य State.	जिला District.						नाम Name	सीएसआर पंजीकरण संख्या CSR Registration number:
	जी आई एम एस, ग्रेटर नोएडा के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीन Ultrasound Scanning Machine for GIMS, Greater Noida	स्वास्थ Health	हां Yes	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	नोएडा Noida	लागू नहीं N.A.	22.69	0.00	22.69	हां Yes	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.
	जीआईएमएस, ग्रेटर नोएडा के लिए कार्डिएक डिफाइ. ब्रिलेटर Cardiac Defibrillator for GIMS, Greater Noida	स्वास्थ Health	हां Yes	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	नोएडा Noida	लागू नहीं N.A.	6.96	0.00	6.96	ਰਾਂ Yes	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.
3.	वृंदायन में अक्षय पात्र फा. उंडेशन (टीएपीएफ) को 76 मध्यम आकार के बर्तन और 32 छोटे जहाज 76 Mid size vessels & 32 Small Vessels to The Akshaya Patra Foundation (TAPF) at Vinidavan	पोषण Nutrition	हां Yes	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	मथुरा Mathura	लागू नहीं N.A.	3.29	0.00	3.29	ਗੱ Yes	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.
	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टी. ट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (पीजीआईसीएच), नोएडा के लिए पूरी तरह से स्वचा. लित जनावट विश्लेषक Fully Automated Coag- ulation Analyser for Post Graduate institute of Child Health (PGICH), Noida	स्वास्थ Health	हाँ Yes	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	नोएडा Noida	लागू नहीं N.A.	14.15	0.00	14.15	ਲੀ Yes	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.
5	अनुमानित शेष राशि पीएम केयर्स फंड में भेजी जाएगी Estimated remaining amount to be remitted to PMCARES Fund	स्वास्थ्य Health	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	27.73	0.00	27.73	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.
		कुल :	AND RESPONDED TO			71.	74.82		74.82			Y

# टिप्पणियाँ:

- वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए ₹74.82 लाख का संपूर्ण सीएसआर बजट चल रही परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि खाते में स्थानांतरित की गई ।
- ऊपर क्रमांक ४ के तहत सूचीबद्ध सीएसआर गतिविधि को निदेशक (पीजीआईसीएच) के अनुरेष्ठ पर रह्न कर दिया गया था।
- 3. पीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ऊपर सूचीबद्ध सीएसआर परियोजनाओं पर ₹34.17 लाख खर्च किए हैं और ₹40.65 लाख की अव्ययित सीएसआर राशि सितंबर, 2022 तक पीएम केयर फंड के खाते में स्थानांतरित कर दी है।
- तदनुसार, चल रही परियोजनाओं सहित वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियां सितंबर 2022 तक पूरी कर ली गईं।

### Notes:

- 1. The entire CSR Budget for the FY 2021-22 of ₹74.82 lakhs was earmarked for ongoing projects and the amount transferred to Unspent CSR Account in terms of Section 135(6) of the Companies Act, 2013.
- 2. The CSR activity listed under Sl.4 above was cancelled on request of Director (PGICH).
- 3. PDIL has spent ₹34.17 Lakhs on ongoing CSR projects as listed above for the FY 2021-22 and transferred the remaining amount on Unspent CSR Account of ₹40.65 Lakhs to PM care Fund by September, 2022.
- 4. Accordingly, the CSR activities for FY 2021-22 including ongoing projects were completed by September 2022.

